न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 68/2022

उनवान

1. कल्याणसहाय
2 जगदीश प्रसाद
3 धूडाराम
4 रामेश्वर प्रसाद

पि0 देवीसहाय जाति जाट निवासी छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2 कमली पत्नि हनुमार सहाय जाति जाट
3 ग्यारसीलाल पुत्र शिवदान
4 गीता देवी पत्नि शिवदान
5 छिगन पुत्र गोमा उर्फ गोविन्दराम
6 बाबूलाल
7 रामचन्द
8 सुरेश
पि0 शिवदान
9 गिरधारी पुत्र प्रभात
10 भैरूलाल पुत्र सोनाराम
11 मूलचन्द पुत्र औंकार
12 रूडा पुत्र श्योबक्स
13 रामकरण पुत्र प्रभात
14 सीताराम पुत्र प्रभात
15 हरिकिशन पुत्र प्रभात
16 नरसीलाल पुत्र रामसहाय
17 सीताराम पुत्र रामसहाय

समस्त जाति जाट निवासी छापुडाखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 21/11/2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 714 रकबा 0.21 है0, 494 रकबा 0.24 है0, कुल किता 2 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम छापुडाखुर्द तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है जिसका तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/2022/ 27 दिनांक 9.5.20252 की पालना में दिनांक 27.5.2022 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 27.5.2022 के बाद से पडौसी खातेदारान आये दिन प्रार्थीगण की भूमि को चारो ओर से दबाते रहते है जिससे प्रार्थीगण एवं पडौसियों आपस में विवाद होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है जिस कारण प्रार्थीगण को स्थाई सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी सं0 3 से 8 की ओर से श्री राजेन्द्रप्रसाद यादव उपस्थित आये तथा पत्थरगढी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति पेश कर जाहिर किया कि प्रश्नागत आराजी का सीमाकंन बिना सुचना के दिये हुए किये गये है । प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपनी भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में अपने मनमाफिक करवाया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा वकील अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि हमारे खसरा नम्बर 489व 493 का भी सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवा दिया जावे ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.5.2022 को

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए या तो प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने या अपने नम्बरों के भी सीमांकन कर पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 27.5.20225 को पटवारी हल्का छापुडा खुर्द के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण के द्वारा की गई आपत्ति से जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण की भूमि का भी सीमांकन होकर पत्थरगढी किये जाने से अप्रार्थीगण का कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवाने के स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत ~~किता~~ 414 रकबा 0.21 है0, 494 रकबा 0. 24 है0, कुल किता 2 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम छापुडाखुर्द तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 27.5.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे तथा यदि अप्रार्थीगण भी अपनी भूमि आराजी खसरा नम्बर 489 व 493 वाके ग्राम छापुडा खुर्द का सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवाना चाहे तो नियमानुसार शुल्क जमा कर उनकी भूमि आराजी खसरा नम्बर 489 व 493 वाके ग्राम छापुडाखुर्द का भी सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर